



# കേരള ഗസറ്റ് KERALA GAZETTE

## അസാധാരണം EXTRAORDINARY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്  
PUBLISHED BY AUTHORITY

വാല്യം 13  
Vol. XIII

തിരുവനന്തപുരം,  
തിങ്കൾ  
Thiruvananthapuram,  
Monday

2024 ഒക്ടോബർ 28  
28th October 2024  
1200 തുലാം 12  
12th Thulam 1200  
1946 കാർത്തികം 6  
6th Karthika 1946

നമ്പർ  
No. 3444

GOVERNMENT OF KERALA  
Election (General) Department

NOTIFICATION

No. EL3/349/2024-ELEC.

*Dated, Thiruvananthapuram, 27th October, 2024.*

The Election Commission of India's Notification No. 576/EXIT/2024/SDR/Vol.I dated 21st October, 2024 (English and Hindi) is hereby re-published.

By order,

PRANABJYOTI NATH, IAS,  
Chief Electoral Officer and Secretary.



To be published in an extraordinary issue of Gazette of India, Part-II, Section 3(iii)

To be re-published in the State Gazette of Jharkhand, Maharashtra, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Meghalaya, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal.

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

No. 576/EXIT/2024/SDR/Vol.I

Dated: 21<sup>st</sup> October, 2024

### NOTIFICATION

Whereas, the schedule for the current general elections to the Legislative Assemblies of Jharkhand & Maharashtra and bye elections to 48 Assembly Constituencies and 2 Parliamentary Constituencies (as per Annexure-1), has been announced by the Election Commission vide Press Note No. ECI/PN/149/2024 and No. ECI/PN/150/2024 both dated 15<sup>th</sup> October, 2024; and

2. Whereas, Section 126A of the Representation of the People Act, 1951 (in short R.P. Act, 1951) specifies that "(1) No person shall conduct any exit poll and publish or publicise by means of the print or electronic media or disseminate in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard.

(2) For the purposes of sub-section (1), the Election Commission shall, by a general order, notify the date and time having due regard to the following, namely: —

(a) in case of a general election, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll in all the States and Union territories;

(b) In case of a bye-election or a number of bye-elections held together, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on and from the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll;

Provided that in case of a number of bye-elections held together on different days, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the last poll.

(3) Any person who contravenes the provisions of this section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both."

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of Sub-Section (2) of the said Section, hereby notifies the period between 7.00 A.M. on 13.11.2024 (Wednesday) and 6.30 P.M. on 20.11.2024 (Wednesday) as the period during which conducting and publishing or



publicizing exit poll by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the aforesaid General and bye elections, shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for the conclusion of the poll in connection with the aforesaid general and bye-elections.

By order,



(S. B. Joshi)

PRINCIPAL SECRETARY



Sl No.	Name of State	Assembly Constituency No./Parliamentary Constituency No. & Name
1.	Assam	11-Dholai(SC) AC
2.		31-Sidli(ST) AC
3.		32-Hongaigaon AC
4.		77-Behali AC
5.		88-Samaguri AC
6.	Bihar	196-Tarari AC
7.		203-Ramgarh AC
8.		227-Imamganj(SC) AC
9.		232-Belaganj AC
10.	Chhattisgarh	51-Raipur City South AC
11.	Gujarat	7-Vav AC
12.	Karnataka	83-Siggaoon AC
13.		95-Sandur(ST) AC
14.		185-Channapatna AC
15.	Kerala	56-Pulakkad AC
16.		61-Chelakkara(SC) AC
17.		4-Wayanad PC
18.	Madhya Pradesh	156-Budhni AC
19.		02-Vjaypur AC
20.	Maharashtra	16-Nanded PC
21.	Meghalaya	56-Garbogre(ST) AC
22.	Punjab	10-Dera Baba Nanak AC
23.		44-Chabbawal(SC) AC
24.		84-Gidderbaha AC
25.		103-Barnala AC
26.		Rajasthan
27.	67-Ramgarh AC	
28.	88-Dausa AC	
29.	97-Deoli-Uniara AC	
30.	110-Khinwsar AC	
31.	156-Salumber(ST) AC	
32.	161-Chorasi(ST) AC	
33.	Sikkim	07-Soreng-Chakung AC
34.		11-Namchi-Singhithang AC
35.	Uttar Pradesh	16-Meerapur AC
36.		29-Kundarki AC
37.		56-Ghaziabad AC
38.		71-Khair(SC) AC
39.		110-Karnal AC
40.		213-Sishamau AC
41.		256-Phulpur AC
42.		277-Katehari AC
43.		397-Mujhawan AC
44.	Uttarakhand	07-Kedarnath AC
45.	West Bengal	06-Sitai(SC) AC
46.		14-Madarihat(ST) AC
47.		104-Nahati AC
48.		121-Harua AC
49.		236-Medinipur AC
50.		251-Talanganra AC



भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड-3(iii) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ

झारखंड, महाराष्ट्र, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के राज्यीय राजपत्रों में पुनःप्रकाशनार्थ

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 576/एग्जिट/2024/एसडीआर/खण्ड-1

दिनांक: 21 अक्टूबर, 2024

### अधिसूचना

यतः, निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/149/2024 एवं सं. ईसीआई/पीएन/150/2024 दोनों दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 द्वारा घोषित झारखंड और महाराष्ट्र की विधानसभाओं के लिए वर्तमान साधारण निर्वाचन और 48 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों एवं 2 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उप-निर्वाचनों (संलग्नक-1 के अनुसार) के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है, और

2. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संक्षेप में लो.प्र. अधिनियम, 1951) की धारा 126क में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि "(1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।

(2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात् :-

(क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में, मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी;

(ख) किसी उप-निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी;

परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।"



3. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत 13.11.2024 (बुधवार) को पूर्वाह्न 7.00 बजे से 20.11.2024 (बुधवार) अपराह्न 6.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान पूर्वोक्त साधारण एवं उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन और प्रकाशन करने या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार करने या किसी प्रकार की अन्य रीति में उसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अंतर्गत पूर्वोक्त आम और उप-निर्वाचनों के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

आदेश से,



(एम.बी. जोशी)  
प्रधान मन्त्री



क्रम सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
1.	असम	11-धोलाई(अ.जा.)वि.स.नि.क्षे.
2.		31-सिडली(अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.
3.		32-बॉगईगांव वि.स.नि.क्षे.
4.		77-बेहाली वि.स.नि.क्षे.
5.		88-सामगुडी वि.स.नि.क्षे.
6.	बिहार	196-तरारी वि.स.नि.क्षे.
7.		203-रामगढ़ वि.स.नि.क्षे.
8.		227-इमामगंज(अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.
9.		232-बेलागंज वि.स.नि.क्षे.
10.	छत्तीसगढ़	51-रायपुर नगर दक्षिण वि.स.नि.क्षे.
11.	गुजरात	7-वाव वि.स.नि.क्षे.
12.	कर्नाटक	83-सिग्गाओं वि.स.नि.क्षे.
13.		95-सन्दुर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.
14.		185-चन्नापटना वि.स.नि.क्षे.
15.	केरल	56-पालाक्काड वि.स.नि.क्षे.
16.		61-चेलाक्करा (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.
17.		4-वायनाड सं.नि.क्षे.
18.	मध्य प्रदेश	156-बुधनी वि.स.नि.क्षे.
19.		02-विजयपुर वि.स.नि.क्षे.
20.	महाराष्ट्र	16-नांदेड सं.नि.क्षे.
21.	मेघालय	56-गम्बेगरे(अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.
22.	पंजाब	10-डेरा बाबा नानक वि.स.नि.क्षे.
23.		44-चम्बेवाल(अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.
24.		84-गिदड़बाहा वि.स.नि.क्षे.
25.		103-बरनाला वि.स.नि.क्षे.
26.		राजस्थान
27.	67-रामगढ़ वि.स.नि.क्षे.	
28.	88-दौसा वि.स.नि.क्षे.	
29.	97-देवली-उनियारा वि.स.नि.क्षे.	
30.	110-खींवर वि.स.नि.क्षे.	
31.	156-सलूमबर(अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	
32.	161-चोरासी(अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	



33.	सिक्किम	07-सोरेंग-चाकुंग वि.स.नि.क्षे.
34.		11-नामची-सिंघीथांग वि.स.नि.क्षे.
35.	उत्तर प्रदेश	16-मीरापुर वि.स.नि.क्षे.
36.		29-कुन्दरकी वि.स.नि.क्षे.
37.		56-गाजियाबाद वि.स.नि.क्षे.
38.		71-खैर(अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.
39.		110-करहल वि.स.नि.क्षे.
40.		213-सीसामऊ वि.स.नि.क्षे.
41.		256-फूलपुर वि.स.नि.क्षे.
42.		277-कटेहरी वि.स.नि.क्षे.
43.		397-मझवां वि.स.नि.क्षे.
44.	उत्तराखण्ड	07-केदारनाथ वि.स.नि.क्षे.
45.	पश्चिम बंगाल	06-सिताई(अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.
46.		14-मदारीहाट(अ.ज.जा) वि.स.नि.क्षे.
47.		104-नईहटी वि.स.नि.क्षे.
48.		121-हरोआ वि.स.नि.क्षे.
49.		236-मेंदीनिपुर वि.स.नि.क्षे.
50.		251-तालदनगरा वि.स.नि.क्षे.

